

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 2014/पौष 30, 1935

No. 141]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 20, 2014/PAUSHA 30, 1935

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

का.आ.146(अ).— केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का. आ. 129(अ) तारीख 13 फरवरी, 2001 द्वारा 3005 अप हावड़ा-अमृतसर मेल के साथ पटरी से उतरे हुए खाद्यान विशेष डाउन के माल के डिब्बों का उत्तर रेलवे के अंबाला खंड के अंबाला-लुधियाना सेक्शन पर 2 दिसम्बर, 2000 को हुई टक्कर से आवेष्टित दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त जांच आयोग जो उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्रीमान न्यायमूर्ति सैय्यद सगीर अहमद से मिलकर बनाया गया था, को समाप्त करना आवश्यक है।

2 केन्द्रीय सरकार जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 7, उपधारा (1) खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि जांच आयोग जो उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, श्रीमान न्यायमूर्ति सैय्यद सगीर अहमद की एकल सदस्य के रूप में बनाया गया था, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अस्तित्वहीन होगा।

[सं. 2000/ई(ओ)II/1/9]

एच. के. जग्गी, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2014

S.O. 146(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to wind up the Commission of Inquiry consisting of Mr. Justice S. Saghir Ahmad, Retd. Judge, Supreme Court of India which was appointed to make an inquiry into the causes of accident involving collision of 3005 Up Howrah-Amritsar Mail with the derailed wagons of Down Foodgrain Special on the Ambala-Ludhiana Section of Northern Railway's Ambala Division on 02.12.2000 by way of notification published in the Gazette of India, vide S.O.129(E) dated the 13th February, 2001.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section(1) of section 7 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby declare that the Commission of Inquiry consisting of Mr. Justice S. Saghir Ahmad, Retd. Judge, Supreme Court of India as its sole member which was appointed by way of the said Gazette Notification, shall cease to exist with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. 2000/E(O)II/1/9]

H. K. JAGGI, Secy.

